[illegible] प्रमाणन [illegible] के संबंध में अभिमत दिनांक हालमपुर के पत्र [illegible] उपरोक्त [illegible] निर्माण किया की अपनी [illegible] के मद्दे [illegible] के महा [illegible] भूमि का विधिवत हस्तान्तरण [illegible] के निमित्त हो चुका है। [illegible] की अवशेष [illegible] उपरोक्त [illegible] अपनी [illegible] से [illegible] कर चुका है लेकिन [illegible] में [illegible] कार्यवाही शेष नहीं रहने से अधिनियम का धारा 53 B-C-D 1953 की प्रक्रिया में [illegible] किया जाना है। [illegible] की गणना निर्धारित [illegible] की [illegible] आवश्यक कार्यवाही अभिलेख [illegible] नहीं [illegible] निर्माण [illegible] अंक प्रमाणन [illegible] के लिए [illegible] को सुझाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Neeta Vaseeta
Date: 2021.12.08 11:46:57 IST
Reason: SelfAttested

(नीता वसीटा)
सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
राशमी

Scanned by CamScanner